कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
०।२० वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र इस कदर पेश किया कि पत्रावली राजस्व मण्डल राज० अजमेर चली गई थी, जो बाद निर्णित श्रीमान के कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नियमित तारीख पेशी में विचाराधीन है। दावे की पत्रावली राजस्व मण्डल से अजमेर से आने के बाद तारीख पेशी में नही आई। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादी ने सहमति प्रदान की। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली की तलाश कर पत्रावली किया गया। पत्रावली को पुनः नम्बर पर दर्ज पंजिका किया गया। राजस्व सहायक को भविष्य में न्यायालयों से प्राप्त प्रकरणों को समय पर दर्ज कर नियमित तारीख पेशी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	
वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश २२ नियम ३ सीपीसी पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी ने अापत्ति जाहिर किया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत २२ नियम ३ सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादिया किरण का नाम दर्ज किया जाता है। प्रतिवादी अनुराधा की ओर से वकील श्री सम्पतसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया।	
उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। राजीनामा तस्दीक कर प्रकरण को खारीज करमावे।	
वादीगण की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। प्रतिवादीगण की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 3.1.2020 उपखण्ड अधिकारी ब्यावर	Amit Tiwari Deepak Narain (signatures) RK Bred Sunder Bhadia (signatures) Vikas Saini (Advocate) (signatures)

9

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.14 13:58:05 IST
Reason: SelfAttested